

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या:22/2016/601/35-1-2016-2/1(12)/2016
दिनांक: 18 जुलाई, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

'स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता के लिये प्रोसीजर्स तय किया जाना' को श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. पृष्ठभूमि

1.1 लोकतान्त्रिक परम्परा में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है, जब उस राज्य के विकास कार्यक्रमों में नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया में समाज की प्रत्येक इकाई की सक्रिय भूमिका हो।

1.2 कार्यक्रमों की सुगमता एवं उनका कुशल प्रबन्धन, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, जनमानस की आवश्यकताओं का सम्यक् आंकलन आदि महत्वपूर्ण पक्षों को समाहित करके अधिकाधिक जनसहभागिता के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

1.3 वर्तमान आर्थिक-सामाजिक परिवेश में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका, विपदा राहत, सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन), सामाजिक सुधार तथा जन सामान्य हेतु सेवाओं की आपूर्ति के क्षेत्रों हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है।

1.4 स्वयं सेवी संस्था, व्यक्तियों/विचारों का एक ऐसा समूह है, जिन्होंने स्वयं को एक विधि सम्मत रूप से संगठित कर लिया है, जिससे समाज को अपेक्षित सेवायें सुदूर स्थानों पर पहुंचा सके।

1.5 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने तथा उन स्थानों एवं राज्य सरकार के मध्य सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 17/2एम(8)/35-आ-1/2002-06 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के द्वारा एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

1.6 एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति के निम्न स्थायी सदस्य नामित किये गये हैं:-

- (1) कृषि उत्पादन आयुक्त
- (2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
- (3) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग

1.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न विकास/कल्याण विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी आवश्यकतानुसार इस समिति में नामित किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1.8 इस समिति के कार्य निम्न प्रकार से हैं:-

- (1) स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्बन्धित नियमों/कानूनों का परीक्षण।
- (2) इन संस्थाओं के कार्यकलापों का सतत् अनुश्रवण एवं नीति विषयक प्रकरणों पर विचार-विमर्श।

2. स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता की आवश्यकता

2.1 प्रदेश के अविकसित, दुर्गम तथा असेवित क्षेत्रों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में स्वयं सेवी संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसमें उस समाज विशेष में सरकारी तन्त्र के अपेक्षाकृत निकट सम्बन्ध, विश्वसनीयता तथा सामाजिक बदलाव हेतु प्रेरित करने योग्य कार्यशक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

2.2 केन्द्र पोषित विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिये एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवायें लेने की व्यवस्था नीतिगत दिशा-निर्देशों में है।

2.3 यह आवश्यक समझा गया कि राज्य द्वारा पोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में ही स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नीति निर्धारित कर दी जाये। इसी को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: 2/2015/293/31-2015-76/2014 दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 के सूत्र संख्या-151 'एन०जी०ओ० के साथ सहभागिता के लिये प्रोसीजर्स तय किया जाना' को सम्मिलित किया गया है।

3. स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता का उद्देश्य

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनमानस विशेष रूप से वंचित वर्ग की आवश्यकताओं एवं आकांशाओं के अनुरूप और अधिक प्रगतिशील एवं उत्तरदायी बनाने में सहयोग करना तथा राज्य के विकास में स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग हेतु सहायक वातावरण उत्पन्न करना इस नीति का वृहद उद्देश्य है, जो निम्न प्रकार है:-

3.1 जनसमुदाय का सशक्तिकरण करने एवं मुख्य धारा में शामिल होने में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका की पहचान करना।

3.2 स्वयं सेवी संस्थाओं के लिये सशक्त वातावरण का निर्माण करना जिससे उनकी उद्यमिता एवं प्रभावशीलता बढ़ सके तथा उनकी स्वयत्तता की सुरक्षा हो सके।

3.3 सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना जिससे जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

3.4 स्वयं सेवी संस्थाओं को वैधानिक तरीकों से वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु योग्य बनाना।

3.5 सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा परस्पर सम्मान, विश्वास एवं जवाबदेही के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करने वाली प्रणालियों की पहचान करना।

3.6 स्वयं सेवी संस्थाओं हेतु ऐसी पात्रता एवं मानदण्ड निर्धारित करना जिससे वे राज्य के विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक बन सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता का कार्यक्षेत्र

इस नीति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न कार्यक्षेत्र हो सकते हैं :-

4.1 विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/कार्यक्रमों(आयोजनागत/आयोजनेत्तर) के क्रियान्वयन में भागीदारी हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हता, चयन, मूल्यांकन (Appraisal), अनुश्रवण (Monitoring), मूल्यांकन (Evaluation) एवं संस्थाओं की क्षमतावृद्धि हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

4.2 स्वयं सेवी संस्था की भूमिका ऐसे क्षेत्रों जो आपदा, दुर्गम, सरकारी तन्त्र की पहुंच से दूर एवं विशेष मामलों जैसे वामपंथी उग्रवादियों से ग्रस्त रहते हैं, महत्वपूर्ण हो सकती है।

4.3 ऐसे विभाग जिनकी अवस्थापना सुविधायें होने के बावजूद मानव संसाधन पर्याप्त न होने के कारण क्षेत्र विशेष असेवित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

4.4 एक से अधिक संस्थायें भी पारस्परिक सहयोग से किसी क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं ताकि उनका संयुक्तीकरण (Consortium) हो सके। संयुक्तीकरण से बड़े स्वैच्छिक संगठन विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था के कार्यों की गुणवत्ता का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

4.5 यह प्रोसीजर्स कम्यूनिटी आधारित स्वयं सेवी संगठनों के कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।

4.6 विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों पर यह प्रोसीजर्स लागू नहीं होंगे।

5. स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु अर्हतायें

स्वयं सेवी संस्थाओं को किसी राजकीय योजना में सहभागिता करने हेतु आवश्यक अर्हताओं को दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है। सामान्य अर्हतायें जो सभी स्वयं सेवी संस्थाओं को पूरी करनी होंगी तथा विशिष्ट अर्हतायें जो जिस सेक्टर या जिस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता ली जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में शासन निर्धारित करे।

5.1 सामान्य अर्हतायें- स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु अर्हता के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु निम्नलिखित सामान्य अर्हताओं का होना अनिवार्य है:-

5.1.1 स्वयंसेवी संस्थायें जो भारत की विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत यथा- रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स 30प्र0 पंजीकरण अधिनियम 1860, ट्रस्ट एक्ट एवं कम्पनी एक्ट (अनुच्छेद-25) के अन्तर्गत अलाभकारी कम्पनी आदि के रूप में पंजीकृत हों। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थायें भी प्रदेश में कार्य हेतु अर्ह होंगी। ऐसी संस्थाओं को कार्य प्राप्त होने के उपरान्त अपना पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करना होगा।

5.1.2 स्वयंसेवी संस्थाओं के उद्देश्य सुपरिभाषित होना चाहिये तथा जिन विभागों के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है उनका उद्देश्य स्वयं सेवी संस्था के उद्देश्य में सम्मिलित होना चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5.1.3 स्वयंसेवी संस्थायें जो अपने टर्नओवर का कम से कम 05 प्रतिशत अपने संसाधनों से सृजित करें।

5.1.4 स्व-शासी हों अर्थात् सरकार के नियंत्रण में न हों।

5.1.5 आयकर विभाग की आवश्यकताओं यथा- पैन, 12 ए एवं आयकर रिटर्न के साथ ही भविष्य निधि अधिनियम का पालन करती हो।

5.1.6 संस्था का पूर्ण विवरण, विगत वर्षों का टर्नओवर एवं किये गये कार्यों का विवरण संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिये।

5.1.7 संस्था को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग की ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित नहीं होना चाहिये।

5.1.8 स्वयंसेवी संस्थायें फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट (एफ0सी0आर0ए0)/ केन्द्रीय/राज्य के नियमों का पालन करती हों।

5.1.9 विभागों में कार्य के लिये एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ द्वारा सृजित विशिष्ट पहचान को आवेदन में इंगित करना अनिवार्य होगा।

5.2 विशिष्ट अर्हतायें

सामान्य अर्हताओं के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन के लिये आवश्यकतानुसार विशिष्ट अर्हताओं का निर्धारण करने हेतु विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के निम्न सदस्य होंगे:-

- (1) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि
- (2) नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि
- (3) दो विषय विशेषज्ञ (सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित किये जायेंगे)

5.3 समिति द्वारा मुख्यतः विशिष्ट अर्हता निर्धारित करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा:-

5.3.1 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विगत 03 वर्षों में किये क्षेत्र विशेष के कार्यों की गुणवत्ता एवं सफलता का मूल्यांकन।

5.3.2 प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का स्तर यथा-प्रदेश स्तरीय अथवा जनपद स्तरीय।

5.3.3 संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का आंकलन।

5.3.4 संस्था के अभिलेखों का रख-रखाव।

5.3.5 आडिटेड बैलेन्स शीट जिसमें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभागीय, वाह्य संस्था एवं अभिदानकर्ता/संस्थागत अभिदानकर्ता के स्रोत का 40 प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाये।

5.3.6 संस्था में कार्यरत स्टाफ।

5.3.7 विशेषज्ञ कार्मिकों की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य का अनुभव

6.1 राज्य स्तर पर कार्य करने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को कम से कम 05 वर्ष का सम्बन्धित विभाग के सेक्टर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।

6.2 जिला स्तर पर कार्य करने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को कम से कम 03 वर्ष का सम्बन्धित विभाग के सेक्टर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।

6.3 प्रदेश स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य का निर्धारण विगत 03 वर्षों में औसत रूप से रूपये 25 लाख वार्षिक एवं उससे अधिक के टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।

6.4 जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य का निर्धारण विगत 03 वर्षों के औसत रूपये 10 लाख वार्षिक से रूपये 25 लाख वार्षिक तक के टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।

6.5 जिन संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में कार्य करने का अनुभव होगा, उन्हें चयन में वरीयता दी जायेगी।

6.6 सम्बन्धित विभाग जिसमें स्वयं सेवी संस्था को कार्य किया जाना होगा उस विभाग के सेक्टर से सम्बन्धित अनुभव एवं योग्यता संस्था के कार्मिकों में होनी चाहिये।

7. स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया

7.1 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया-

7.1.1 अगर स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता किसी एक जनपद विशेष में प्राप्त की जानी है तो जिले स्तर पर प्रस्तावों को प्राप्त करके उसका परीक्षण इस कार्य हेतु गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

7.1.2 प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर कार्य हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इसमें से एक समाचार पत्र हिन्दी एवं एक अंग्रेजी भाषा का होगा।

7.1.3 समाचार पत्र में विज्ञापन के अतिरिक्त आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विभागों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जाय जिसके अन्तर्गत सभी संस्थाओं को समान अवसर मिल सकें।

7.1.4 समाचार पत्र में विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य प्रचार माध्यमों से विभागों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जाय जिसके अन्तर्गत सभी संस्थाओं को अधिकाधिक जानकारी के अवसर मिल सकें।

8. चयन हेतु समितियों का गठन

8.1 राज्य स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करने के लिये विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (1) नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि।
- (2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि।
- (3) दो विषय विशेषज्ञ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) विभाग के निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव।
8.2 जिला स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करने के लिये जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (1) मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना/सम्बन्धित कार्यक्रम का अधिकारी।
- (2) दो विषय विशेषज्ञ।
- (3) विभाग के जनपदस्तरीय अधिकारी, सदस्य सचिव।

8.3 समितियों के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

8.3.1 राज्य स्तर/जिला स्तर के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन।

8.3.2 स्वयं सेवी संस्थाओं एवं विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 एवं टी0ओ0आर0 के हस्ताक्षर।

8.3.3 स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य सम्पादन का मूल्यांकन करने के लिये समीक्षा बैठकों का आयोजन।

8.3.4 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाना एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को जारी की गयी निधियों के बारे में राज्य स्तरीय समिति को सूचित करना।

9. प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया

9.1 डेस्क मूल्यांकन (Desk Appraisal)

9.1.1 जनपद एवं राज्य स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों का डेस्क अप्रेजल किया जाये। इसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं की क्षमता, कार्य की विशेषज्ञता, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, विगत वर्षों में किये गये कार्यों की समीक्षा, टर्नओवर आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाय।

9.1.2 प्रस्तावों का अप्रेजल सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय एवं राज्यस्तरीय मुख्यालयों पर किया जाये। डेस्क मूल्यांकन सामान्य अर्हताओं एवं विशिष्ट अर्हताओं के आधार पर किया जायेगा। इसी के अनुसार स्वयं सेवी संस्थाओं को श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

9.2 क्षेत्र मूल्यांकन (Field Appraisal)

9.2.1 जनपद एवं राज्यस्तरीय कार्यों के दृष्टिगत सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं का पता एवं उनके द्वारा विगत वर्षों में किये गये कार्यों के स्थल पर जाकर निरीक्षण/परीक्षण किया जाय। क्षेत्र मूल्यांकन के अन्तर्गत डेस्क मूल्यांकन में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सत्यापन किया जायेगा।

9.2.2 क्षेत्र मूल्यांकन का कार्य थर्ड पार्टी ज्वाइंट पैनेल द्वारा किया जाना चाहिये जिसमें एक सदस्य वित्त विभाग, कार्यक्रम/विभाग एवं एक थर्ड पार्टी का प्रतिनिधि होना चाहिये। थर्ड पार्टी कन्सलटेंट के चयन हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जाये।

9.2.3 डेस्क समीक्षा एवं क्षेत्र मूल्यांकन की रिपोर्ट स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन के समय जनपद एवं राज्यस्तरीय समितियों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9.3 स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन मापदण्ड

9.3.1 ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया जाये जो जमीनी स्तर वाला संगठन हो तथा वंचितों और असेवित वर्ग की सेवा के लिये प्रतिबद्ध हों।

9.3.2 ऐसे संगठनों का चयन किया जायेगा जिनके पास प्रोफेशनल और प्रबंधन कौशल हो तथा वह अपनी सेवायें दुर्गम एवं असेवित क्षेत्र तक पहुँचा सकें।

9.3.3 ऐसे विशेषज्ञता वाले स्वयंसेवी संस्थायें जो मूल्यांकन, अनुसंधान और नीति विकास सहयोग, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन की समर्थन और सहयोग संस्था के रूप में कार्य कर सकें।

9.4 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन (Appraisal)

9.4.1 जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सामान्य अर्हता के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में से स्वयंसेवी संस्थाओं के विगत वर्षों के कार्य, टर्नओवर, कार्य की विशेषज्ञता एवं संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर डेस्क एप्रेजल कराकर कार्य के लिये उपयुक्त अर्ह संस्थाओं के प्रस्तावों की छंटनी कराया जाये।

9.4.2 छंटनी के उपरान्त जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों के सम्मुख, जैसी स्थिति हो, छंटनी किये हुये प्रस्तावों की सूची एवं संस्था के सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायें। समितियों द्वारा संस्थाओं को, संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण तथा उनकी क्षमता के आधार पर कार्य हेतु चयन किया जाये।

9.4.3 विभागों द्वारा जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कार्य हेतु चयनित संस्थाओं का विवरण, प्रस्तावित कार्य, कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि, भुगतान की गयी धनराशि का विवरण, कार्य सम्पादन की अवधि आदि विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही अद्यतन किया जाये।

9.4.4 सम्बन्धित विभाग आवेदक स्वयं सेवी संस्थाओं के आंतरिक प्रबंधन प्रणाली के साथ ही उसकी वित्तीय प्रणाली एवं उसके कार्य संचालित करने की क्षमता का मूल्यांकन करेगी। इसके लिये निम्न व्यवस्था अपनायी जायेगी।

9.4.5 क्वालिटी बेस्ड सलेक्शन- सम्बन्धित विभाग में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

9.4.6 सम्बन्धित विभाग द्वारा श्रेणीबद्ध संस्थाओं के आवेदनों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य की न्यूनतम लागत के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

9.4.7 सम्बन्धित विभाग क्वालिटी कास्ट बेस्ड सलेक्शन (क्यू0सी0बी0एस0) के आधार पर स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करेगी अर्थात् न्यूनतम लागत पर उच्च गुणवत्ता का कार्य कराने का उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन में होना चाहिये।

10. मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम0ओ0यू0)

सम्बन्धित विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य एम0ओ0यू0 तैयार किया जायेगा। इसके अन्तर्गत कार्य की प्रकृति, कार्य का क्षेत्र, कार्य पूर्ण करने की अवधि, भुगतान की प्रक्रिया आदि शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिये जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. भुगतान की प्रक्रिया

11.1 विभाग एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य एक बार एमओयू को हस्ताक्षरित होने के बाद स्वयंसेवी संस्था को अनुदान जारी किया जायेगा।

11.2 स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान कार्य की आवश्यकतानुसार अथवा कार्य की प्रकृति के अनुसार एमओयू में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाये।

12. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली

प्राथमिकताओं के आधार पर स्वयं सेवी संस्थाओं की प्रभावी सहभागिता और आवधिक अनुश्रवण के लिये एक अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है।

12.1 अनुश्रवण प्रणाली

12.1.1 स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य सम्पादन पर आवधिक रिपोर्टिंग, समीक्षा एवं सतत् रूप से चलने वाली अनुश्रवण प्रणाली की सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थापना की जायेगी।

12.1.2 स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य सम्पादन का सहमत संकेतों के आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा। इसका उल्लेख सम्बन्धित विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

12.1.3 सम्पादित कार्य के स्तर के आधार पर स्वयं सेवी संस्थायें अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट जिला एवं प्रदेश मुख्यालय पर जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भौतिक प्रगति त्रैमासिक एवं वित्तीय प्रगति मासिक आधार पर प्रस्तुत की जायेगी।

12.1.4 राज्य/जिला स्तर (जैसी भी स्थिति हो) त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

12.1.5 सम्बन्धित विभाग समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यों को पूर्ण करने के लिये द्वितीय किस्त की धनराशि उपलब्ध करायेगा। यदि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रस्तावों के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा होगा तो स्वयंसेवी संस्था का भुगतान कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त ही अवमुक्त किया जाय।

12.2 मूल्यांकन प्रणाली

12.2.1 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सम्बन्धित विभाग कार्यों का मूल्यांकन करायेगा। मूल्यांकन में सम्बन्धित विभाग द्वारा यह देखा जायेगा कि जिस उद्देश्य से धनराशि स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी है उस कार्य की गुणवत्ता, समयवधि, उद्देश्यों की पूर्ति हुयी है अथवा नहीं।

12.2.2 मूल्यांकन कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जाय। सम्बन्धित विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिये कार्यों के अनुसार मानक निर्धारित किये जायें उन्हीं मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाय।

13. स्वयंसेवी संस्थाओं की क्षमता वृद्धि

13.1 धन उपलब्ध कराने वाले विभागों द्वारा क्षमता वृद्धि/विशिष्ट क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने की व्यवस्था विभागों द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13.2 स्वयंसेवी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जायेगा। प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

14. सक्सेस स्टोरीज का प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन

स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्सेस स्टोरीज/प्रशंसनीय कार्यों के प्रचार-प्रसार का कार्य सम्बन्धित विभागों के साथ ही 'एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ' द्वारा भी किया जायेगा। प्रचार-प्रसार का कार्य वेबसाइट एवं अन्य प्रचार माध्यमों से किया जायेगा। प्रचार-प्रसार की अपडेटिंग निरन्तर की जायेगी।

15. ब्लैक लिस्टिंग प्रक्रिया

स्वयं सेवी संस्था कार्य को पूर्ण करने के समय नियम विरुद्ध कार्य करती हैं तो ऐसी संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। नियम विरुद्ध का आशय यह है कि:-

15.1 धन के दुरुपयोग- जिस उद्देश्य से संस्था को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, उस उद्देश्य के अतिरिक्त संस्था द्वारा धन का उपयोग किया गया हो।

15.2 प्रतिकूल अनुश्रवण रिपोर्ट- सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्य करने वाली संस्था के कार्य की अनुश्रवण रिपोर्ट प्रतिकूल होने पर।

15.3 प्रतिकूल मूल्यांकन रिपोर्ट- सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्य करने वाली संस्था के कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतिकूल होने पर।

15.4 फर्जी दस्तावेज- यदि संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग को फर्जी दस्तावेज अथवा दस्तावेज में हेरा-फेरी कर दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर।

15.5 उक्त स्थिति होने पर संस्था को भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि तत्काल रोक दी जायेगी।

15.6 क्योंकि संस्था/संस्थायें एक से अधिक जनपदों में कार्य कर सकती हैं, इसलिये जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने का कार्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ही किया जायेगा तथा एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ/स्टेट एडवाइजरी कमेटी प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

15.7 राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें नियोजन विभाग, वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। साथ ही विभागों के परामर्श पर सहमति के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ/स्टेट एडवाइजरी कमेटी कार्य करेगी।

15.8 ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं की सूची प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों एवं एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं/पदाधिकारियों का सहयोग 05 वर्षों के लिये प्रदेश के किसी भी विकास कार्य/कार्यक्रम में नहीं लिया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16. स्वयंसेवी संस्थाओं का डाटाबेस

16.1 स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जायेगा। पोर्टल में सूचीबद्ध प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था को एक विशिष्ट पहचान (यूनीक आई0डी0) प्रदान किया जायेगा। इस विशिष्ट पहचान (यूनीक आई0डी0) का स्वयंसेवी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से एन0जी0ओ0 के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

16.2 एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ राजकीय विभागों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के विभागवार विवरण की जानकारी हेतु एक पोर्टल तैयार करेगा।

16.3 राजकीय विभागों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के डाटाबेस हेतु सम्बन्धित विभाग कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के विवरण सहित वेबसाइट के माध्यम से एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के पोर्टल से लिंक करेगा जिससे विभाग की योजनाओं एवं कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी मिल सके।

(अरूण कुमार सिन्हा)

प्रमुख सचिव।

संख्या:22/2016/601(1)/35-1-2016-2/1(12)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0 शासन।
3. मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0।
7. समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग।
8. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, 30प्र0।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
10. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, 30प्र0।
11. समस्त अधिकारी, नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग/नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग/भूमि उपयोग परिषद।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।